भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4976**

जिसका उत्तर मंगलवार, 23 जुलाई, 2019/01 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाना है।

इफको अधिकारियों को मुआवजा

4976. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि इफको के निदेशक मंडल ने इफको के समग्र वृद्धि और विकास को उच्चस्तरीय निदेशकों के योगदान की दृष्टि से उन्हें पुरस्कार पारितोषण और पुरस्कार के तौर पर दक्षिण दिल्ली और नए कोमन वैल्थ ख्रेल गांव में आलीशान बंगले दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इफको के उच्च कार्यकारियों को आबंटित ऐसे बंगलों/फ्लेटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में सहकारी सोसाइटियों के उच्च कार्यकारियों को ऐसी क्षतिपूर्ति का उपबंध है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे गैर-कानूनी आबंटनों के संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जी हां। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) से प्राप्त सूचना के अनुसार इफको के डॉ. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक तथा श्री राकेश कपूर, संयुक्त प्रबंध निदेशक को क्रमश: एल-4, हौजखास एन्क्लेव और बी 9/12 (भूतल एवं बेसमेंट), वसंत विहार में मकान दिए गए हैं। यह वर्षों से इफको की प्रगति में उनके बहुमुखी योगदान के लिए उनको प्रतिपूर्ति एवं पारितोषिक पैकेज के भाग के रूप में दिया गया है। ऐसा निदेशक मंडल की शक्तियों के अंतर्गत किया गया है और वार्षिक आम बैठक के दौरान इफको के प्रतिनिधि सामान्य निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इफको द्वारा अपने शीर्ष निदेशकों को नए राष्ट्रमंडल खेल गांव में कोई फ्लैट नहीं दिए गए हैं।

(ग) और (घ): बहु राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सोसायटियां, जिनमें इफको भी शामिल है, स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार अचल सम्पत्तियों के संबंध में निर्णय लेना सोसायटी के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के तहत आता है। इसके अतिरिक्त, एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार, एक बहु-राज्य सहकारी सोसायटी का सर्वोच्च प्राधिकार इसके सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा।

****